राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमाकः 1 (16)ग्रावि/नरेगा/IPPE/2014–15 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 17 SEP 2015

वीसी कार्यवाही विवरण दिनांक 03.09.2015

आईपीपीई–।। का उद्देश्य हर गरीब परिवार तक पहुंच कर उनकी प्राथमिकता और संसाधनों के आधार पर उनके लिए टिकाऊ आजीविका विकसित करना है। गांव स्तर तक सर्वे से सबसे गरीब परिवारों को मिलने वाले विभिन्न लाभों की जानकारी मिलेगी तथा उनकी जरूरतों को समझ कर प्राथमिकता के आधार पर आजीविका के अवसरों की पहचान की जा सकती है। ग्राम पंचायत में बने नियोजन के आधार पर ही ब्लॉक जिला और राज्य का नियोजन होगा।

इस क्रम में दिनांक 03.09.2015 को आयुक्त, ईजीएस द्वारा आपीपीई–।। के सफल कियान्वयन हेतु वीसी के माध्यम से आईपीपीई–।। के अनतर्गत चयनित 22 जिलों एवं 84 पंचायत समितियों के गुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीपीएम, विकास अधिकारियों एवं डीपनिंग मैनेजर के साथ समीक्षा की गई एवं प्रक्रिया हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किये गये :–

1. ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति से 4 सदस्यीय ब्लॉक रिर्सोस टीम (बीआरटी) चयनित की जाकर बीआरटी के प्रशिक्षण पश्चात ब्लॉक प्लानिंग टीम (बीपीटी) को दिनांक 24.09.2015 तक प्रशिक्षण दिया जावे।
2. आईपीपीई–।। के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से चयनित 4 सदस्यीय ब्लॉक प्लानिंग टीम (बीपीटी) के माध्यम से ग्राम में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार का सर्वे किया जाकर विस्तृत प्लान तैयार किया जावेगा।
3. इसमें महात्मा गांधी नरेगा का श्रम बजट और निस्सहाय परिवारों की काम की मांग समाहित होगी, निस्सहाय परिवारों की आजीविका का नियोजन होगा जिसे NRLM से आगे बढ़ाया जा सकेगा। कौशल्य विकास के लिए युवकों को चिन्हित कर DDU-GKY से जोड़ा जा सकेगा। सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित (SECC)जनगणना की सूचियों का उपयोग कर बी पी टी निस्सहाय परिवारों की जल्द पहचान कर पायेंगे, उन्हें नियोजन प्रक्रिया में जोड़ पायेंगे और उनकी आजीविका सुरक्षित कर पायेंगे।
4. दिनांक 02.10.2015 से आयोजित ग्राम सभा हेतु माइक के साथ सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान, समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ ही ग्राम सभा के लिए आईपीपीई–।। एजेंडा के प्रसार (25 सितम्बर से) किया जाकर आईपीपीई–।। का शुभारम्भ सुनिश्चित करावें।
5. आईपीपीई–।। अभ्यास से पूर्व सभी संबंधित डी पी सी ये सुनिश्चित करें कि सभी श्रमिकों के जॉब कार्ड एवं पासबुक उन्हें वापस कर दी गई हैं और वे वास्तविक धारकों के पास ही हैं।
6. आईपीपीई–।। प्रक्रिया जिन पंचायतों में शुरू हो रही है वहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक आवश्यक रूप से सुनिश्चित करे कि दीवार लेखन द्वारा दी गई सूचना

दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार ही सभी ग्राम पंचायतों में अंकित की जाये। 2 अक्टूबर से पहले दीवार लेखन पूरा हो जाये।

7. दिनांक 02.10.2015 से आयोजित ग्राम सभा के पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष की ब्लॉक स्तर पर तैयारी बैठक, सभी वार्ड सदस्यों की पंचायत स्तर पर बैठक, स्वयं सहायता समूहों की तैयारी बैठक/संगठन नेताओं की ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर की बैठक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही बी पी टी टीमों को ग्राम स्तरीय सर्वे हेतु दिया जाने वाले प्लानिंग कैलेंडर को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। ग्राम सभा के आयोजन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आईपीपीई–।। हेतु जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

8. **बीपीटी को सर्वे हेतु विकास अधिकारी निम्न सूचनाऐं उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित करावें।**

1 **एसईसीसी डेटा अन्तर्गत लाभान्वित परिवार वार सूचना नरेगा सॉफ्ट पर सर्वे के बेसिक फार्म में टोकन नम्बर के साथ उपलब्ध होगी।** इसका ग्रामवार एवं परिवारवार प्रिंट आउट उपलब्ध करवाया जावे।

2 नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध संबंधित ग्राम की जॉब कार्ड सूची में से व्यक्तिगत लाभार्थीयों की श्रेणी में आने वाले परिवारों की सूचना का प्रिंट आउट उपलब्ध करवाया जावे। ताकि एसईसीसी डेटा एवं योजनान्तर्गत अन्य जरूरतमंद परिवारों का विस्तृत सर्वे संभव हो सके।

3 क्र.सं. 1 में उल्लेखित परिवारों का विस्तृत सर्वे हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नरेगा सॉफ्ट पर एनआरएलएम ब्लॉक्स एवं नॉन एनआरएलएम ब्लॉक्स हेतु कलर वाईज प्रपत्र (ए, बी, सी, डी, ई) उपलब्ध कराये गये है, जिनका हिन्दी रूपान्तरण कर इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है एवं इस पत्र की सॉफ्ट कॉपी nrega.raj.nic.in के सकुर्लर ऑपशन पर उपलब्ध है। उक्त प्रपत्रों को निम्नानुसार रंगों में विकास अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार संख्या में मुद्रण करवा लिया जावे।

- प्रपत्र–ए–हरा रंग
- प्रपत्र–बी–नीला रंग
- प्रपत्र–सी–ग्रे रंग (स्लेटी रंग)
- प्रपत्र–डी–पीला रंग
- प्रपत्र–ई–गुलाबी रंग

4 क्र.सं. 1 के माध्यम से प्राप्त परिवारवार एसईसीसी की सूचना का प्रत्येक परिवार हेतु एक यूनिक आईडी होगा। उक्त यूनिक आईडी को बीपीटी द्वारा संबंधित परिवार का सर्वे करते समय प्रपत्र–ए से प्रपत्र–ई में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे। इसी प्रकार जरूरतमंद जॉबकार्डधारी परिवारों का सर्वे करते समय जॉब कार्ड नम्बर प्रपत्र–ए से प्रपत्र–ई में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

5 वार्षिक एक्शन प्लान 2014–15, वर्ष 2015–16 के लिए स्वीकृत कार्यों की सूची, अधूरे कार्यों की सूची उपलब्ध कराई जावे।

6 एन एस ए पी लाभार्थियों की सूची, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की सूची और प्राप्त किश्तों की संख्या, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची, पिछले 3 वर्षों के

इन्दिरा आवास लाभार्थियों की सूची, ग्राम पंचायतों में पूर्व में तैयार स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के सूक्ष्म नियोजन, स्वयं सहायता समूहों की सूची और कर्मचारियों की सम्पर्क सूची उपलब्ध कराई जावे।

7 सामग्री रखने के लिए एक बैग, परिचय के लिए पत्र/पहचान पत्र, ग्रामपंचायतवार नियोजन कैलेंडर (जिसे बी पी टी प्रशिक्षण के दौरान बनाया जायेगा), नोटबुक एवं पेन उपलब्ध कराये जावे।

9. बीपीटी द्वारा 25 अक्टूबर, 2015 तक सर्वे कार्य पूर्ण कर ग्राम सभा से वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित करा ली जावे। ब्लॉक एवं जिला स्तर से वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की जाकर दिनांक 20 दिसम्बर, 2015 तक डाटा एन्ट्री एवं लेबर बजट तैयार करने का कार्य पूर्ण किया जान सुनिश्चित करावें।

10. आईपीपीई–।। के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व ब्लॉक स्तर से विकास अधिकारी एवं जिला स्तर पर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होगा। इस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली जावेगी तथा मुख्यालय स्तर से जारी दिनांक 01.09.2015 के आदेश अनुसार पाक्षिक बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित कर राज्य स्तर को रिपोर्ट प्रेषित की जावे।

माननीय श्री वीरेन्द्र सिंह, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, भारत सरकार द्वारा आईपीपीई–।। के माध्यम से कन्वर्जेन्ट प्लानिंग की महत्वता का उल्लेख करते हुए दिनांक 2 अक्टूबर, 2015 से आयोजित ग्राम सभाओं में समस्त जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया (पत्र संलग्न है) अतः उक्त सूचना से संबंधित को अवगत करवाया जावे।

16/9/15

परि0 निदे एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5 परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
6 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आईपीपीई–।। में चयनित जिलें)।
7 विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी (आईपीपीई–।। में चयनित पंचायत समिति)
8 रक्षित पत्रावली।

16/9/15

परि0 निदे एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस